बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय)

संख्या – 03/भू0अ0नि0(2)राज्य यो0(जमुई)–84/2020 5418 **पटना, दिनांकः**–03/10/2023

आदेश

अपर समाहर्त्ता–सह–प्रभारी पदाधिकारी, जमुई के पत्रांक 277 दिनांक 28.04.2023 द्वारा मो0 अजहर इकबाल, विशेष सर्वेक्षण अमीन(AEN02555) के विरूद्ध कार्य में शिथिलता, बैठक में अनुपस्थित रहने के साथ–साथ अपने कर्तव्य से लगातार अनुपस्थित रहने का आरोप प्रतिवेदित करते हुए चयनमुक्त करने की अनुशंसा की गयी है।

प्राप्त अनुशंसा के आलोक में निदेशालय के पत्रांक 4335 दिनांक 23.02.2023 द्वारा आरोपित से 03 (तीन) दिनों के अन्दर स्पष्टीकरण की मांग की गयी है। आरोपित द्वारा अपना स्पष्टीकरण निर्धारित अवधि में समर्पित किया गया है। आरोपित द्वारा अपने स्पष्टीकरण में अंकित किया है कि उनके द्वारा अपने आवंटित राजस्व ग्राम प्रपत्र–6 अपलोडिंग कार्य पूर्ण किया गया है। साथ ही यह भी अंकित किया गया है कि ये प्रतिदिन कार्यालय में उपस्थित रहते हैं।

प्राप्त स्पष्टीकरण का इनपर लगाए गए आरोप के आलोक में समीक्षा की गयी। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि इनके द्वारा अपने कार्य पूर्ण करने में कितना समय लिया गया है यह अंकित नहीं किया गया है। साथ ही कर्तव्य पर लगातार उपस्थित रहने के विरूद्ध कौन सा सर्वेक्षण से संबंधित कार्य को पूर्ण किया गया है, यह स्पष्टीकरण में स्पष्ट नहीं है। निदेशालय स्तर पर संधारित एम0आई0एस0 सॉफ्टवेयर से प्राप्त विवरणी के अनुसार इन्हें आवंटित राजस्व ग्राम में कुल खेसरों की संख्या 936 है। खानापुरी प्रारंभ करने की तिथि 28.03.2022 है और खानापुरी समाप्ति की तिथि 17.12.2022 है, इस प्रकार खानापुरी करने में इनके द्वारा 254 दिनों का समय लगाया गया है। साथ ही शिविर स्कैन रिपोर्ट से यह भी स्पष्ट हुआ है कि प्रपत्र–6 में डाटा इंट्री का कार्य पूर्ण नहीं किया गया है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि इनके द्वारा अपने स्पष्टीकरण में गलत बयानी किया जा रहा है। जहाँ तक इनका कथन है कि ये अपने कर्तव्य पर लगातार उपस्थित रहते हैं, तो मात्र कार्यालय में उपस्थित रहना ही कार्य के निपटारा का माध्यम नहीं हो सकता है बल्कि कार्य पूर्ण भी दिखना चाहिए। आरोपित द्वारा उनपर लगाए गए आरोप के विरूद्ध कोई ऐसा ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, जो उनपर लगाए गए आरोप को खंडित करता हो।

विशेष सर्वेक्षण कार्य एक समयबद्ध कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के तहत सर्वे के विभिन्न अवयव/प्रक्रम हेतु समय सीमा निर्धारित है, जिससे सभी विशेष सर्वेक्षण कर्मी अवगत हैं। कार्य में शिथिलता बरतने से निर्धारित लक्ष्य कुप्रभावित होगा। अतः इस परिपेक्ष्य में आरोपित को संविदा में बनाए रखने से इनके इस कृत्य का प्रभाव अन्य संविदा कर्मियों पर पड़ सकता है, इसके दृष्टिगत इनका संविदा नियोजन समाप्त किया जाना उचित होगा।

अतः **"बिहार विशेष सर्वेक्षण मानदेय आधारित संविदा नियोजन नियमावली 8(4)"** के आलोक में मो0 अजहर इकबाल, विशेष सर्वेक्षण अमीन(AEN02555) का संविदा नियोजन समाप्त किया जाता है।

3/10/23
(जय सिंह)
निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :– 03/भू0अ0नि0(2)राज्य यो0(जमुई)–84/2020 5418 **पटना, दिनांक** :– 03/03/2023

प्रतिलिपि :– मो0 अजहर इकबाल, विशेष सर्वेक्षण अमीन(AEN02555), बंदोबस्त कार्यालय, जमुई को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :– 03/भू0अ0नि0(2)राज्य यो0(जमुई)–84/2020 5418 **पटना, दिनांक** :– 03/03/2023

प्रतिलिपि :– बंदोबस्त पदाधिकारी, बंदोबस्त कार्यालय, जमुई को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक :– 03/भू0अ0नि0(2)राज्य यो0(जमुई)–84/2020 5418 **पटना, दिनांक** :– 03/03/2023

प्रतिलिपि :– श्रीमती सरीता कुमारी, प्रोग्रामर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं इसकी स्कैन कॉपी R2R अन्तर्गत संधारित मो इकबाल की निजी संचिका में अपलोड करने हेतु प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप